न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 06/2016/अपील

रामसिंह पुत्र फूलाराम जाति जाट निवासी जाटवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये उप तहसीलदार पाटन जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.12.2015 मु.न. 391/2015 अनुवानी सरकार बनाम रामसिंह द्वारा न्यायालय उप तहसीलदार पाटन

वकील अपीलांट श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा

निर्णय दिनांकः–30.09.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का हसामपुर ने एक रिपोर्ट उप तहसीलदार पाटन (सीकर) के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट रामसिंह ने भूमि खसरा नम्बर 186 रकबा 0.2700 हैक्टर पर सरसों व भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 0.3300 है0 पर गेंहू की फसल काश्त कर रखी है। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार पाटन ने अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का मुकदमा कायम करके अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना ही विरूद्ध कानून अपने निर्णय दिनांक 10.12.2015 के द्वारा अपीलान्ट को बेदखल करने व 400 रूपया शास्ति आरोपित किए जाने का आदेश पारित कर दिया। पटवारी हल्का हसामपुर ने अपीलान्ट के विरूद्ध अतिक्रमण बाबत कतई गलत व आधारहीन रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद अधीनस्थ उप तहसीलदार पाटन ने अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब किए जाने का आदेश दिनांक 04.12.2015 को दिया व आगामी पेशी 10.12.2015 नियत की। दिनांक 10.12.2015 को अपीलान्ट ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया व जाहिर किया कि भूमि खसरा नम्बर 186 व 188 ग्राम पाटन पर अपीलान्ट भूमिहीन व्यक्ति है उसकें पक्ष में भूमि नियमन किए जाने योग्य है व अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर चाहा, परन्तु योग्य अधीनस्थ उप तहसीलदार पाटन ने अपीलान्ट को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया व अपना निर्णय दिनांक 10.12.2015 को ही पारित कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा दी गई रिपोर्ट को बिना पटवारी के बयान लिये बिना किसी प्रकार की साक्ष्य व जांच किए बिना ही अपीलांट को अतिक्रमी मानकर अपना निर्णय जेर अपील पारित कर दिया। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब को देखे बिना ही छपे छपाये (प्रिन्टेड) फार्म पर अपना निर्णय जेर अपील पारित किया है, जो कानूनन साईक्लो फार्म में होने से निर्णय की तारीफ में नही आता है अतः निर्णय जेर अपील निरस्तनीय है। आराजी खसरा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अपीलान्ट एक भूमिहीन व्यक्ति है व कानूनन अपीलान्ट का कब्जा नियमन होने योग्य होते हुये भी योग्य अधीनस्थ उप तहसीलदार पाटन ने नियमन की सिफारिश न करके बेदखल करने की आज्ञा पारित करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटन का निर्णय जेर अपील दिनांक 10.12.2015 निरस्त किए जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट स्वयं उपस्थित आया एवं उक्त नोटिस के सम्बंध में जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब को रिकार्ड पर लिया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम जाटवास के खसरा नम्बर 186 रकबा 0.27 है0 किस्म बा.3 में से 0.27 है0 पर सरसों बोकर व खसरा नम्बर 188 रकबा 0.33 है0 किस्म बा.3 में से 0.33 है0 पर गेंहू बोकर अतिक्रमण कर रखा है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमित भूमि की किस्म बा.3 है, जिस पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः इस सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पाटन के द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त बेदखली आदेश दिनांक 10.12.2015 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार पाटन को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में किये जाने वाले निर्णय साइक्लो स्टाईल टाईप शुदा फॉर्मेट में नहीं कर विधिवत तरीके से टाईप किया जाकर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/9/19

(जय प्रकाश)

अति0 ज़िला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official